न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 29 / 2023 / बाड़मेर

अपीलांट	**बनाम**	**रेस्पोडेंटगण**
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौहटन		1. मंगलाराम पुत्र श्री सवाराम 2. रूपाराम पुत्र श्री गोरखाराम 3. जेगाराम पुत्र श्री नवाराम जाति मेगवाल निवासी चौहटन तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 299 / 2013 बअनवान मंगलाराम बनाम तहसीलदार चौहटन में पारित आदेश दिनांक 26.10.2017 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. राजकीय अभिभाषक श्री हरीराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—24.02.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 ता 03 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि मौजा चौहटन में उतरदाता संख्या 01 से 03 प्रार्थीगण की खातेदारी का एक खेत खसरा संख्या 1085 / 625 रकबा 28 बीघा का आया हुआ है। उक्त प्रार्थना—पत्र में उनके द्वारा यह भी कथन किया गया कि उनके खेत की जोत में आने जाने हेतु रास्ता अपीलकर्ता की राजकीय सिवायचक भूमि खसरा संख्या 1086 / 625 रकबा 30 बीघा मौजा चौहटन में आया हुआ है। प्रार्थीगण के खेत में सरकारी रास्ते तक जाने का एक मात्र रास्ता अपीलकर्ताओ का खेत ही है इसलिए अपीलकर्ता विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से 30 फीट चौड़ा नया मार्ग स्वीकृत करावे। उपरोक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया है। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित राजकीय अभिभाषक की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय श्री ने यह भी नहीं देखा कि विप्रार्थी को कभी नोटिस ही जारी नहीं हुआ विना तामिली प्रक्रिया पूर्ण किये बाला बाला उक्त एकतरफा मंशा रखकर धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मूल भावना के विपरीत एवं न्यायहित व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के परिपेक्ष्य को अनदेखा किया जाकर अपूर्ण निर्णय व आदेश दिया है, जो कोई निर्णय व आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। उक्त प्रकरण में पूर्ण रूप से राज्य सरकार से अनुतोष चाहा गया है तथा राज्य सरकार के विरूद्ध कोई प्रकरण विधिक रूप से तब तक ग्राहय नहीं होता जब तक की राज्य के सचिव के स्तर पर 60 दिन की अवधि का लीगल नोटिस धारा 80 सी पी सी का प्रार्थी द्वारा नहीं दिया जाता है। यदिआवश्यक प्रकृति में भी प्रकरण पेश करना होता है तो भी धारा 80(2) सी पी सी का प्रार्थना–पत्र पेश कर अनुमति प्राप्त करना आवश्यक व आज्ञापक है, के अभाव में कोई भी प्रकरण ग्रहण नहीं किया जा सकता है, एवं राज्य सरकार के विरूद्ध मामला जिला कलक्टर को पक्षकार बनाये बिना पेश नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के इन प्रावधानों को जानबूझकर अनदेखा कर पदीय हैसियत का भी दुरूपयोग किया है, व प्रार्थीगण को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिये अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर भी कृत्य किया व इतना ही नहीं सिविल प्रक्रिया संहिता एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियमों के प्रावधानों व न्यायिक भावना को भी समझने का प्रयास नहीं किया है। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी पूर्व में अपीलांटस को नहीं थी। अपीलांट तहसीलदार के पद पर पदस्थ है, तहसीलदार का पद प्रशासनिक जिम्मेदारी का पद है जिसके पास आपदा, अकाल, चुनाव, शांति व्यवस्था, पंचायत पुनर्गठन, राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व रेकर्ड अपडेट व ऑनलाईन आदि अनेकों कार्यों में अतिव्यस्तता के कारण एवं उक्त निर्णय का अमल दरामद भी

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तत्समय के तहसीलदार द्वारा कर दिये जाने के कारण भी उक्त निर्णय का ज्ञान नहीं रहा है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व रेकर्ड अपडेट कार्य सम्पन्न करने के दौरान अर्सा 4–5 दिन पूर्व ज्ञान होने पर तुरंत अधीनस्थ न्यायालय में पता करने पर उक्त निर्णय का ज्ञान हुआ। जिस पर निर्णय की प्रति दिनांक 24.02.2023 को प्राप्त कर राजकीय अभिभाषक से सम्पर्क कायम कर उनकी विधिक सलाहनुसार तुरंत अपील पेश करना आवश्यक होने से पेश की जा रही है। प्रमाणित प्रति प्राप्त होने से सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई तथा ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया जबकि अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना लाजमी था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत्त रास्ते से राजकीय भूमि का नुकसान करते हुए दो भागों विभाजित किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए सुविधाजनक रास्ता कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसके तहत राजकीय सिवायचक दर्ज भूमि का नुकसान नहीं किया जा सकता। उक्त प्रकरण में राज्य सरकार से अनुतोष चाहा गया है तथा राज्य सरकार के विरूद्ध कोई प्रकरण विधिक रूप से तब तक ग्राह्य नहीं होता जब तक की राज्य के सचिव के स्तर पर 60 दिन की अवधि का नोटिस धारा 80 सी पी सी का प्रार्थी द्वारा नहीं दिया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के इन प्रवधानों की पालना नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 06.10.2017 में पीठासीन अधिकारी दीगर कार्यों में व्यस्त होने से पेशी दिनांक 10.01.2018 दी गई। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.10.2017 को प्रकरण का एकपक्षीय

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अंतिम निस्तारण कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध नहीं किया गया। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटस की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 299/2013 बअनवान मंगलाराम वगैरा बनाम तहसीलदार चौहटन में पारित आदेश दिनांक 26.10.2017 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार चौहटन को आदेशित किया जाता है कि वह राजस्व रिकॉर्ड में अपीलाधीन आदेश से पूर्व की स्थिति बहाल कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

24/2/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 24.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/2/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर